भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3382

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना

3382. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) स्थापित करने के लिए सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने का प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में एकत्र किया जा रहा जिलेवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : एमएसएमई क्षेत्र में निजी उद्यम शामिल हैं और इस क्षेत्र में निवेश स्वयं उद्यमियों द्वारा किया जाता है। उद्योगों का संवर्धन और विकास राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एमएसएमई के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन पहलों में अन्य के साथ-साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाना और गति देना, आत्मनिर्भर भारत कोष, पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई चैंपियंस योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, टूल रूम और तकनीकी संस्थानों के तहत, एमएसएमई मंत्रालय ने प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों से संबद्ध एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थान स्थापित किए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ देश के सभी पात्र एमएसएमई को उपलब्ध हैं, बशर्ते वे दिशानिर्देशों और पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

उत्तर प्रदेश में 01-07-2020 को स्थापना से 17-03-2025 तक 65,50,130 एमएसएमई को यूआरपी पर पंजीकृत किया गया है।

*****